बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

I आदेश I

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, के ज्ञापांक 3242 दिनांक 09.09.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि गहन मतदाता पुनरीक्षण संबंधी चुनाव आयोग द्वारा आयोजित बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग नहीं लेने संबंधी अपर समाहर्ता अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, रोहतास, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण से एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं ससमय स्पष्टीकरण नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

विभागीय पत्रांक 18859 दिनांक 06.10.2025 एवं अंतिम स्मार पत्रांक 24214 दिनांक 30. 12.2025 से समाहर्ताओं द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने का अनुरोध अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से की गयी।

विभागीय पत्रांक 24214 दिनांक 30.12.2025 के आलोक में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र इस विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसमें अंकित है कि राजस्व महा–अभियान के सुगम क्रियान्वयन के निमित्त विभाग स्तर पर दिनांक–02.09.2025 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग (VC) में भाग नहीं लेने वाले 13 अपर समाहत्तर्ताओं यथा–अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, रोहतास, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी 13 (तेरह) अपर समाहर्त्ताओं यथा– अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, रोहतास, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद एवं सकारण पाये जाने के कारण इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किये जाने की सूचना इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

सक्षम प्राधिकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना से प्राप्त पत्र की समीक्षा के आलोक में किसी अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नही बताते हुए इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

ह0/–

(शालिग्राम पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित/ स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–36/2025 सा0प्र0......6518....../**पटना–15, दिनांक**......10.4.26

प्रतिलिपि– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.04.26

सरकार के अवर सचिव।